उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

रंजीत मुण्डा वगै0
बनाम
मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज ली0 वगै0

आदेश फलक तारीख............से...............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :–09 / **2018–19**

वाद का प्रकार :– अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. श्री रंजीत मुण्डा पिता–स्व0 पौलुस चोरांथ (मुण्डा)
2 संजय मुण्डा पिता– स्व0 पौलुस चोरांथ (मुण्डा)
3 रंजती चोरांथ पति–स्व0 किशोर चोरांथ,
4 सुरेन्द्र चोरांथ पिता–बिन्तुस चोरांथ
5 महेन्द्र चोरांथ पिता–बिन्तुस चोरांथ
6 सुधीर मुण्डा पिता–पास्कल मुण्डा
7 परदेशी मुण्डा पिता–पास्कल मुण्डा
8 जिरमईत देवी पति–पास्कल उर्फ पास्कु मुण्डा
9 हैजु मुण्डा पिता–स्व0 जगदेव मुण्डा

सभी ग्राम– कथुपानी, डुम्बरपाट, गुरदरी थाना– विशुनपुर जिला–गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49 के अंतर्गत् अपने स्वामित्त्व के निम्नांकित भूमि **को मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज ली0** लोहरदगा जिला–लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षों की लीज में देने के लिये अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया हैं :–

क्र0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (ए0 में)
1.	गुरदरी	40	95	69(P)	1.95
	कुल				1.95

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी विशुनपुर से स्थलीय जॉच कर तीन बिन्दुओ पर प्रतिवेदन की मॉग की गई, जो निम्नवत है:–

1 अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बॉक्साईड खनन क्षेत्र के अगल बगल के रैयत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होगें।

2 खनन हेतु प्रस्तावित भूमि के चौहदीदारों का कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नही है, परन्तु उनका NOC भी प्राप्त नही है।

3 कम्पनी के द्वारा जहॉ खनन का कार्य किया जाएगा वहा कम्पनी के द्वारा किसी प्रकार का सामुदायिक हित में Noble Work करने का कोई प्रस्ताव अंचल कार्यालय को प्राप्त नही है।

अंचल अधिकारी विशुनपुर के द्वारा स्पष्ट मंतव्य दिया गया है कि प्रस्तावित भूमि के 100 मीटर के भीतर बसाव है तथा उक्त भूमि पर खनन कार्य नही किया गया है। खनन कार्य होने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ने की सम्भावना प्रबल है।

अंचल अधिकारी विशुनपुर के द्वारा उपरोक्त परिपेक्ष्य में लीज अनुमति नही देने की अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी विशुनपुर से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम्पनी के द्वारा रैयतो के सामुदायिक हित में कोई भी Noble Work नही किया गया है और न ही उनके द्वारा इस संबंध में कोई पूरक तथ्य समर्पित किया गया है उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमति वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

28.04.22

उपायुक्त,
गुमला

28.04.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.04.29 13:15:52 +05:30
Location: 192.168.1.49